न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 57/2021

1 रिछपाल सिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी शिवराना का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हनुमान पुत्र किशना जाति जाट निवासी शिवराना का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खीरवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ प्रकरण अनुवानी हनुमान बनाम रिछपाल सिंह मुकदमा नम्बर 12/2019 आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः– 18.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने विचारण न्यायालय में आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के कब्जे हक अधिकार व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.46 हैक्टेयर ग्राम शिवराना का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम शिवराना का बास के पश्चिमी तरफ की सींव के सहारे–सहारे 15 फिट चौडा रास्ता प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट द्वारा बन्द कर दिया गया है उक्त रास्ता प्रार्थी व इनके पूर्वज 100 वर्षो से अपने खेत में आवागमन के काम में लेते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता नही है को राजस्व रिकार्ड में 15 फिट कटानी रास्ता अंकित किये जाने की आज्ञा फरमायी जानी आवश्यक है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये तलब किया, अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट पर नोटिस की तामील हुए बिना ही अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 की तामील प्रर्याप्त मानकर अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय मौके रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील विरूद्व कानून दिनांक 12.08.2021 को पारित कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 खसर नम्बर 408,119,115,116,117,187,188,190 में संयुक्त खातेदार दर्ज है। इनके मध्य विभाजन का वाद विभाजन व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उदघोषणा के वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने तथ्यों को छुपाकर विचाराधीन आदेश प्राप्त किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट एकपक्षीय होते हुये भी विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। आवेदक के पास पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट का नोटिस अपीलांट की पत्नी को तामील करवाया गया है। विधि अनुसार तामील प्रर्याप्त होने से इस बिन्दु पर अपीलांट सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना कर भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.08.2021 के आधार पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से रेस्पोडेंट संख्या 01 का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ता चालु नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट का नोटिस अपीलांट की पत्नी को तामील करवाया गया है। विधि अनुसार तामील प्रर्याप्त होने से इस बिन्दु पर अपीलांट सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना कर भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.08.2021 के आधार पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से रेस्पोडेंट संख्या 01 का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ता चालु नही है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन संजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18-04-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर